

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या2015, 2016 व 2017 / 2015.....जिला..... जयपुर.....

उनवान - मैसर्स फ्यूचर कंट्रोल कॉरपोरेशन, जयपुर बनाम अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर व सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16 / 12 / 2015	<p align="center">खण्डपीठ कैम्प-जयपुर श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष श्री ईश्वरीलाल वर्मा, सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री एन के बैद उपस्थित।</p> <p>उक्त तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के द्वारा क्रमांक 84, 85 व 86 / अपील्स-तृतीय / स्थगन / 2015-16 में पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 02.09.2015 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कायम मांग राशि क्रमशः 467401/-, 42,10,076/- व 51,12,038/- की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।</p> <p>उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।</p> <p>विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय पारित करते समय रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के लिये युक्तियुक्त व विधिक कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, बकाया मांग राशियां की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि द्वारा सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध बकाया विवादित मांग की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक, रोक लगायी जाती है एवं अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के चार माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p align="right">16-12-2015</p>	